Volume-10, No. 2 Aug.-2023, pp. Hin.01-04

महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की योजनायें

डा. वीरेन्द्र कुमार, अस्सिटेंट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, डी.पी.बी.एस. पी.जी. कालिज अनूपशहर
बुलन्दशहर उत्तर–प्रदेश भारत।

आशय
महिला सशक्तीकरण को बहुत आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तीकरण है। महिलाओं में ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। किसी भी समाज के विकास का सीधा सम्बन्ध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना आदि की शुरुआत की है। आइए इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

मुख्य शब्द– महिला सशक्तीकरण, समान वेतन का अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या, कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल, संपत्ति पर अधिकार

भारत में महिला सशक्तीकरण

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की ज्यादा चिंता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की 'आर्थिक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक में 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया गया जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं का श्रम जनसंख्या में योगदान तेजी से कम हुआ है। यह लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर भी महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है नेशनल सैंपल सर्वे (68 वां राउंड) के अनुसार 2011–12 में महिला सहभागिता दर 25. 51 प्रतिशत थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में मात्र 14.7 प्रतिशत थी। जब रोजगार की कमी है तो आप महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक पुरुष ज्यादा समय तक काम कर सकता है उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती है और कहीं भी यात्रा करना उसके लिए आसान होता है निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिए पालना घर या शिशुओं के लिए पालन की सुविधा मुहैया कराना जरूरी होता है।

ऐसे कई कारण हैं जिनसे भारत की महिला श्रमिक सहभागिता दर में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है और यह दर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे कम है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महिला रोजगार ज्यादा है। इन क्षेत्रों के पुरुष काम करने के लिए भारत आते हैं और उनके पीछे महिलाएं अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए खेतों में काम करती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) मैं महिलाएं मात्र 17 प्रतिशत का योगदान दे रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार क्रिसटीन लगार्डे का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अगर श्रम में भागीदारी करे तो भारत की GDP 27 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

महिला सशक्तीकरण के लिए दिए गए अधिकार

समान वेतन का अधिकार– समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या

मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता ।

कार्य–स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून– यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण के शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन का पेड लीव दी जाएगी।

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार– भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

संपत्ति पर अधिकार– हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है।

गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार– किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।

महिला सशक्तीकरण– महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तीकरण कहलाता है

महिला श्रेष्ठता– समाज में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्योंकि आज के समय में महिला हर क्षेत्र में आगे है चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का क्षेत्र हो।

महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई योजनायें निम्न हैं:

1. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम की शुरुआत 25 जनवरी 2015 में पानीपत, हरियाणा से हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की मृत्यु दर को कम करना और उनकों शिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाज में लड़कियों के साथ हो रहे भेद–भाव को खत्म करना और उन्हें समाज में बराबर का भागीदार बनाना है।
2. **किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी योजना (सबला):** यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2011 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतगर्त 11से 18 वर्ष की किशोरियों को पौष्टिक आहार और आयरन की गोलियां सहित अन्य कई चिकित्सा सुविधा दी जाती है।
3. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना**– यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्तूबर 2010 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 19 साल और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को पहले दो बच्चों के जन्म के समय वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता दो किस्तों में 6000 रुपये की सहायता दी जाती है।
4. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना:** इस योजना की शुरुआत 2004 में हुई। इसके अंतर्गत उन पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को साक्षर बनाना है जहाँ की शिक्षा दर राष्ट्रीय महिला शिक्षा दर से कम हो। इस योजना में केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत का योगदान करती हैं। जिसके 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लकड़ियों को तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे वाली लड़कियों को शिक्षित करना है।
5. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**: यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 मई 2016 को की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन को कम करना और इसकी जगह एलपीजी गैस को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त करना और उनके सेहत को बेहतर बनाना है।
6. **स्वाधार घर योजना:** इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2001–02 की गयी। इस योजना के अंतर्गत, वेश्याओं, विधवाओं, कैद से रिहा हुई महिलाओं और अन्य पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास कराया जाता है। इन महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जरूरी कानूनी सलाह, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत इन पीड़ित महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से

मजबूत करना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।

7. **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमः** यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1986–87 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16 वर्ष और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को कौशल विकास द्वारा स्व–रोजगार के योग्य बनाना है। इस योजना के लिए अनुदान राशि सीधे संस्था/संगठन और गैर–सरकारी संगठनों को पहुंचायी जाती है।
8. **लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक समृद्धिः** लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि और जन–धन योजना जैसे कायर्क्रम भी चलाए जा रहे हैं। जहां जन–धन योजना के तहत करीब आधे से ज्यादा बैंक अकाउंट महिलाओं द्वारा ही खुलवाए गए हैं। इसके साथ ही महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगभग 7.88 करोड़ महिला उद्यमियों को करीब सवा 2 लाख करोड़ का लोन उपलब्ध कराया गया।

इन कार्यक्रमों के द्वारा यह आशा की जाती है कि आने वाले समय में भारतीय महिलायें सशक्त हो पाएंगी और भारत के विकास में बराबर की भागीदार बन पाएंगी।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महिलाओं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सूचकों के रूप में पहले से बेहतर हुई है। जून 2018 में आई सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के मुताबिक 2013 से भारत में मातृ मृत्यु दर में करीब 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। महिलाओं को प्रसव के दौरान मिलने वाली मैटरनिटी लीव को भी बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है और सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने पर जोर दिया जा रहा है।

इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या और महिला अपराधों में भी काफी कमी आई है। 2012 में हुए निर्भया काण्ड के बाद रेप, हिंसा और छेड़छाड़ के कानूनों को और ज्यादा सख्त बनाया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रिपोर्टिंग पहले से अधिक हो रही है, जबकि अलग–अलग कारणों से ये रिपोर्ट पहले काफी कम दर्ज की जातीं थी।

आर्थिक मोर्चे पर महिलओं को मजबूत बनाने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के जरिये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड–अप इंडिया, स्टार्ट–अप इंडिया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह योजना भी महिलाओं को वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने में सहयोग कर रही है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, महिला हेल्पलाइन और पैनिक बटन जैसे प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा महिला सशक्तीकरण के लिहाज से सबसे जरूरी तीन तलाक प्रथा को भी खत्म करने की कोशिश चल रही है।

शिक्षा के स्तर पर भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के जरिये स्कूलों में लड़कियों और लड़कों का बराबरी पर दाखिला हुआ है। राजीतिक स्तर पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का नियम तैयार किया गया है, जबकि कुछ राज्यों में आरक्षण का ये प्रतिशत 50 फीसदी तक कर दिया गया है।

इसके अलावा महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने की करीब दो दशक से तैयारी चल रही है। इस विधेयक को साल 1996 में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए पेश किया था। महिला आरक्षण विधेयक को 6 मई 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने के 2 साल बाद 9 मार्च 2010 को इसे राज्यसभा से पारित करा लिया गया। लेकिन लोकसभा में पर्याप्त सदस्यों की संख्या न होने के कारण इस विधेयक पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाया जा सका है।

संसद के निचले सदन लोकसभा में सिर्फ 12 फीसदी महिला सांसद हैं, जबकि राज्य सभा में भी ये संख्या महज 12.8 फीसदी ही है जोकि वैश्विक औसत 22 प्रतिशत से काफी कम है। 2017 में आई इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक भी भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्तर काफी नीचे है। जहां दुनिया के कुल 193 देशों में भारत की रैंकिंग 147वें नंबर पर है।

भारत में महिलाओं के काम में भागीदारी का प्रतिशत भी सिर्फ 26 फीसदी ही है। जबकि भारत में महिलाओं की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या का करीब 48 फीसदी है। रोजगार में महिलों की इस स्थिति के कारण भारत ब्राजील श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों से भी पिछड़ा हुआ है।

इसके साथ ही महिला स्वास्थ्य के लिहाज से भारत में मातृ–मृत्यु दर नेपाल और श्रीलंका जैसे कम विकसित देशों से भी अधिक है, जोकि महिला सशक्तीकरण के लिए गंभीर चुनौती है।

निष्कर्ष–

जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में, महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तीकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों (1993) के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

संदर्भ–

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
2. सुकन्या समृद्धि योजना
3. बालिका समृद्धि योजना
4. CBSE उड़ान स्कीम
5. माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना
6. धनलक्ष्मी योजना
7. राज्य सरकार बालिका योजनाएं

8- Archive- One Stop Centre Scheme

9- Archive- Women Helpline Scheme

10- UJJAWALA: A Comprehensive Scheme for Prevention of trafficking and Rescue, Rehabilitation and Re-integration of Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation

11- Sakhi Niwas

12- Ministry approves new projects under Ujjawala Scheme and continues existing projects

13- SWADHAR Greh (A Scheme for Women in Difficult Circumstances)

14- NARI SHAKTI PURASKAR

15- Awardees of Stree Shakti Puruskar, 2014 & Awardees of Nari Shakti Puruskar

16- Women Helpline Scheme

17- Mahila Shakti Kendras (MSK)

18- NIRBHAYA

19- Mahila police Volunteers